राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या– न0नि0 50–20 / 2026.....2425

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.),
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, पटना, औरंगाबाद,
पूर्वी चम्पारण, सारण एवं सिवान।

पटना, दिनांक– 10.6.26

विषय :– नगरपालिका निर्वाचन, 2026–नगर परिषद, दानापुर निजामत, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, नगर परिषद, खगौल, नगर परिषद, सोनपुर, नगर पंचायत, जम्होर, नगर पंचायत, मदनपुर, नगर पंचायत, मधुबन एवं नगर पंचायत, महाराजगंज के पार्षद के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उर्पयुक्त विषयक संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा 08 नगरपालिकाओं यथा नगर परिषद, दानापुर निजामत, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, नगर परिषद, खगौल, नगर पंचायत, महाराजगंज के सीमा विस्तार, नगर परिषद, सोनपुर के उत्क्रमण तथा नगर पंचायत, जम्होर, नगर पंचायत, मदनपुर, नगर पंचायत, मधुबन के नवगठन के फलस्वरूप निर्वाचन संपन्न कराये जाने के निमित्त पार्षद के पदों पर आरक्षण का निर्धारण किया जाना है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243प. एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(7) में नगरपालिकाओं की अवधि तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा 12(2) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के नियम 29 से 39 में आरक्षण निर्धारण के नियम एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 243प. (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 05 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।

अनुच्छेद 243प. (4) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा **12(7)** उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व भंग किये जाने पर गठित नगरपालिका उतनी ही अवधि तक बनी रहेगी जितनी अवधि तक वह भंग नगरपालिका उपधारा 5 के अधीन बनी रहती यदि उसे इस तरह भंग नहीं किया गया होता।

धारा 12(2) (क) प्रत्येक नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिये आरक्षित किये जाऐगें:–

(I) अनुसूचित जाति

(II) अनुसूचित जनजाति, और

(III) पिछड़े वर्ग

प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचनों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य निकटतम उसी अनुपात में होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से दो क्रमिक आम निर्वाचनों के पश्चात चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जाऐगें।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण के पश्चात शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा **अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा कुल मिलाकर 50 प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी**, तथा इन स्थानों को विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिये आवंटित किया जाएगा। वैसे स्थान उतरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जाऐगें।

(ख) कंडिका (क) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगें।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गए हैं, उसमें से 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगें।

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान नगरपालिका में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथाविहित रीति से दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात चक्रानुक्रम में आवंटित किये जाऐगें।

स्पष्टीकरण :– शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उपधारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्वांत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रारंभ होने के पश्चात हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।

2. उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रत्येक नगरपालिका में

(I) आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के व्यक्तियों को मिलेगा। पिछड़ा वर्ग से अभिप्रेत है "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में

आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1992 (बिहार अधिनियम संख्या 3, 1991)" की अनुसूची-1 में विर्निदिष्ट पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची।

(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या वार्ड के कुल सीटों के 50 प्रतिशत की अधिसीमा से अधिक नहीं होगा।

(III) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये वार्ड में तथा नगरपालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया जाएगा।

(IV) पिछड़े वर्गों के लिये कुल सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाएगा।

(V) आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों कोटि की महिलाओं के लिये उस कोटि के लिए अनुमान्य सीटों का यथाशक्य 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाऐगें, अर्थात अनुसूचित जाति कोटि के लिये अनुमान्य सीटों में से 50 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये अनुमान्य कुल सीटों में से 50 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति कोटि की महिलाओं के लिये, पिछड़े वर्ग श्रेणी के लिये अनुमान्य कुल सीटों का 50 प्रतिशत स्थान पिछड़ा कोटि की महिलाओं के लिये सुरक्षित रहेगें तथा अनारक्षित श्रेणी के लिये अनुमान्य कुल सीटों के लिये यथाशक्य 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिये सुरक्षित रहेगें।

3. **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के नियम 29(2):–**

वार्डों में आरक्षण के लिये स्थानों का निर्धारण– (I) प्रत्येक नगरपालिका में पार्षद के पदों के निर्वाचन के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं इन कोटियों की महिलाओं के लिये अनुमान्य संख्या में सीटों का आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम की धारा 12(2)(क) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दंडाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(II) सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन प्रत्येक श्रेणी के लिये आरक्षित किये जाने वाले वार्डों की संख्या की गणना प्रपत्र–7 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तरीके से की जाएगी।

(III) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिये, जैसा मामला हो, आरक्षित एवं आवंटित किये जाऐगें।

इस प्रकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों में से यथाशक्य 50 प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा मामला हो, की महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाऐगें। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रथम आने वाले वार्डों को इन कोटि की महिलाओं के लिये आरक्षित किया जाएगा।

(IV) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा के अन्तर्गत, प्रत्येक नगरपालिका के वार्डों के कुल स्थानों

का अधिकतम 20 प्रतिशत स्थान, पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किये जाऐगें। इसके लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:–

(I) संबंधित नगरपालिका के सभी वार्डों को निम्न प्रकार सजाया जाएगा–
(क) प्रपत्र–8 में कोटिवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं कुल) जनसंख्या
(ख) प्रपत्र–9 में जनसंख्या के अवरोही क्रम में अनुसचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की जनसंख्या, अन्य वर्ग की जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्ग)।

(II) वे वार्ड जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उनकी महिलाओं सहित) के लिए आरक्षित एवं आवंटित किये गए हैं वे पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित नहीं किये जाऐगें। पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन शेष वार्डों के बीच से किया जाएगा।

(III) कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे अधिक जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किये जाऐगें। पिछड़ा वर्ग के लिये इस प्रकार आरक्षित वार्डों में से अनुमान्य संख्या में वे वार्ड पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाऐगे जो कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे पहले आते हैं।

(IV) इस प्रकार आरक्षित/अनारक्षित वार्डों का विवरण प्रपत्र–10 में तैयार किया जाएगा

नियम 30, नगरपालिकाओं के आरक्षण हेतु स्थानों का निर्धारण–अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्रत्येक नगरपालिका (नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम) के मुख्य पार्षद के निर्वाचन में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग (उनकी महिलाओं सहित) के लिये अनुमान्य संख्या में स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा जिसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:–

(I) राज्य के सभी नगरपालिका (नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम) के लिये अलग–अलग) को निम्न रूप से सजाया जाएगा–

(क) प्रपत्र–8 में कोटिवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग) में कोटिवार जनसंख्या

(ख) प्रपत्र–9 में जनसंख्या के अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अन्य वर्ग की जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्ग)।

(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाले नगरपालिकाओं को अनुमान्य संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये आरक्षित एवं आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से यथाशक्य 50 प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक नगरपालिकाऐं, जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रथम आने वाली नगरपालिकाऐं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित की जाएगी।

(III) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अधिकतम 50 प्रतिशत के आरक्षण की अधिकतम 20 प्रतिशत स्थान, पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी। इसके लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:–

जो नगरपालिका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उनकी महिलाओं सहित) के लिए आरक्षित एवं आवंटित की गई है वे पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित नहीं की जाएगी।

कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे अधिक कुल जनसंख्या वाले नगरपालिकाओ को अनुमान्य संख्या में पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग के आरक्षित नगरपालिकाओं में से उन नगरपालिकाओं को पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अनुमान्य संख्या में आरक्षित किया जाएगा जो कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे पहले आती हैं।

(iv) इस प्रकार आरक्षित/अनारक्षित नगरपालिकाओं का विवरण प्रपत्र–10 में तैयार किया जाएगा

नियम 31. आरक्षण हेतु शर्त्तें – (1) पूर्ववर्ती चुनाव में किसी कोटि विशेष के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पश्चातवर्ती चुनाव में उसी कोटि के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा

परंतु यह भी कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र अन्य (अनारक्षित) कोटि से महिला के लिए आरक्षित किया गया था, तो वह पश्चातवर्ती चुनाव में अन्य (अनारक्षित) कोटि की महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

(2) अगर कोई विकल्प न हो, तब पूर्ववर्ती चुनाव में किसी कोटि विशेष को आवंटित निर्वाचन क्षेत्र पश्चातवर्ती चुनाव में उसी कोटि को पुनः आवंटित किया जा सकता है।

नियम 32. वार्ड/नगरपालिका की संख्या का निर्धारण– विभिन्न कोटियों के लिए आरक्षित की जाने वाली वार्डों/नगरपालिकाओं की संख्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

नियम 33. जनसंख्या बराबर रहने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया– एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड/नगरपालिका) में जनसंख्या बराबर रहने की स्थिति में संख्यांकन क्रम में पहले आने वाला निर्वाचन क्षेत्र संबंधित कोटि को आवंटित किया जाएगा।

नियम 34. वार्डों/नगरपालिकाओं का चक्रानुक्रम– जहाँ तक व्यवहारिक रूप से संभव हो, वार्ड/नगरपालिकाओं का आवंटन चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तरीके से किया जाएगा।

नियम 35. एकल पद की स्थिति में कोई आरक्षण नहीं– अगर किसी कोटि में मात्र 01 ही पद उपलब्ध है तो यह महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

नियम 36. निर्वाचन क्षेत्रवार आरक्षण पंजी का संधारण– निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में नगरपालिका स्तर पर वार्डवार जनसंख्या पंजी तथा आयोग स्तर पर नगरपालिका वार जनसंख्या पंजी क्रमशः जिला दंडाधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संधारित की जाएगी

परंतु यह कि नगरपालिका स्तर पर तैयार की गई पंजियों की एक प्रति जिला दंडाधिकारी द्वारा आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रत्येक पंजी की एक प्रति नगरपालिका एवं जिला कार्यालय में संरक्षित कर रखी जाएगी।

नियम 37. जिला दंडाधिकारी द्वारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की सूची का प्रकाशन– जिला दंडाधिकारी द्वारा तैयार आरक्षित/अनारक्षित वार्डों की सूची प्रपत्र–10 में नगरपालिका के कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी तथा प्रत्येक की एक प्रति नगरपालिका एवं जिला कार्यालय में संरक्षित कर रखी जाएगी।

नियम 38– आयोग के स्तर पर आरक्षित/अनारक्षित नगरपालिकाओं की सूची प्रपत्र–10 में आयोग कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी।

नियम 39– आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का सरकारी गजट में प्रकाशन – नियम 37 एवं नियम 38 के अधीन प्रकाशित आरक्षित/अनारक्षित क्षेत्रों को, जैसी स्थिति हो, जिला गजट/राज्य गजट में प्रकाशित किया जाएगा।

4. **उक्त प्रावधानों के आलोक में इन 08 नगरपालिकाओं के कार्यकाल एवं आरक्षण के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से विधि विभाग से परामर्श की मांग की गई थी।**

विधि विभाग द्वारा परामर्श उपलब्ध कराया गया है कि उत्क्रमित, सीमा विस्तारित एवं नवगठित सभी नगर निकायों का कार्यकाल नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के शेष कार्यकाल तक होगा।

सीमा विस्तार, उत्क्रमण एवं नवगठन के पश्चात परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया के माध्यम से नए वार्ड अस्तित्व में आया है जिससे पुराने वार्डो के क्षेत्र एवं संख्यांकन में बदलाव हुआ है। अतएव वार्डो का आरक्षण रोस्टर नया होगा किन्तु वह पूर्व नगरपालिका के आरक्षण चक्र (Reservation Cycle) का अनुसरण करेगा।

उक्त परामर्श एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा 12(2) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के नियम 29 से 39 में वर्णित आरक्षण निर्धारण के नियम एवं प्रक्रिया के आलोक में नगर परिषद, दानापुर निजामत, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, नगर परिषद, खगौल, नगर परिषद, सोनपुर, नगर पंचायत, महाराजगंज, नगर पंचायत, जम्होर, नगर पंचायत, मदनपुर एवं नगर पंचायत, मधुबन के पार्षद के पदों के लिए सीटों का आरक्षण/आवंटन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का निम्न दिशा निर्देश संसूचित किया जाता है:–

(i) नगर परिषद, दानापुर निजामत, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, नगर परिषद, खगौल, नगर परिषद, सोनपुर, नगर पंचायत, महाराजगंज, नगर पंचायत, जम्होर, नगर पंचायत, मदनपुर एवं नगर पंचायत, मधुबन के पार्षद के पदों का आरक्षण के निर्धारण में **द्वितीय चक्र– अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति** के क्रम में प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(ii) संबंधित नगरपालिका का **प्रपत्र–7** में सर्वप्रथम कोटिवार अन्य, अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या को अंकित की जायेगी। प्रपत्र–7 के दायें तरफ पदों की गणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या के अनुपात में गणना की जायेगी। 0.5 या उससे अधिक अंश को अगले पूर्ण अंक मे

सम्मिलित किया जायेगा। 0.5 से कम अंश को नजरअंदाज किया जायेगा। यथा 3.5 या 3.6 को 4 माना जायेगा जबकि 3.4 को 3 माना जायेगा।

पिछड़े वर्गों के लिए कुल पदों का 20 प्रतिशत यथाशक्य किन्तु उससे अनधिक अर्थात अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक गणना करना है। इस गणना में अंश भाग यथा 0.1 ये 0.9 को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अर्थात 3.6/3.8 को 3 ही माना जायेगा 4 नहीं। क्योंकि 4 मानने पर पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण 20 प्रतिशत की सीमा पार कर जायेगी।

कुल पदों में से अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की पदों की गणना के पश्चात पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम कुल पदों की 20 प्रतिशत यथाशक्य गणना की जायेगी किन्तु कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) तत्पश्चात **प्रपत्र–8** में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार कोटिवार (अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) जनसंख्या को सजाया जाएगा

(iv) तत्पश्चात **प्रपत्र–9** में जनसंख्या के अवरोही क्रम में अन्य (कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या को छोड़कर), अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या (अनुसूचित जन जाति+अनुसूचित जाति+अन्य की जनसंख्या) अंकित की जाएगी।

(v) अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए, जैसा मामला हो, आरक्षित एवं आवंटित हो जाऐंगे।

(vi) इस प्रकार अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों में से यथाशक्य पचास प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक स्थान अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाऐगें। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रथम आने वाले वार्डों को इन कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित एवं आवंटित किया जाएगा।

(vii) वे वार्ड जो अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (उनकी महिलाओं सहित) के लिए आरक्षित एवं आवंटित किए गए हैं, वे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किए जाएगें। पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण/आवंटन शेष अन्य वार्डों के कुल जनसंख्या से किया जाएगा। ऐसे शेष वार्डों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे अधिक जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जायेगे।

पिछड़ा वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित वार्डों में से अनुमान्य संख्या में वे वार्ड पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित एवं आवंटित किए जाएंगे जो कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे पहले आते हैं।

(viii) एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड/नगरपालिका) में जनसंख्या बराबर रहने की स्थिति में संख्यांकन क्रम में पहले आने वाला निर्वाचन क्षेत्र संबंधित कोटि को आवंटित किया जाएगा।

(ix) अगर किसी कोटि में मात्र एक ही पद उपलब्ध है तो यह महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

(x) आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी **प्रपत्र –10** में तैयार की जाएगी।

5. **उदाहरण :–**

संलग्न **प्रपत्र–7** में नगर पंचायत **X** में कुल 16 वार्डो में से दो पद अनुसूचित जाति के लिए तथा शून्य स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य होते हैं। उक्त नगर निकाय में पार्षद के कुल 16 पदों का पचास प्रतिशत 8 होता है तथा 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक 3.2 अर्थात 3 पद होता है जो पिछड़ें वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इस प्रकार उक्त नगर निकाय में अनुसूचित जाति के लिए 2 एवं पिछड़ें वर्ग के लिए 3, कुल 5 स्थान ही आरक्षित होंगे तथा शेष 11 स्थान अनारक्षित रहेंगे।

अनुसूचित जाति के लिए अनुमान्य 2 पदों का 50 प्रतिशत 1 होता है जिससे अनुसूचित जाति की महिला के लिए मात्र एक पद आरक्षित होगा। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए अनुमान्य 3 पदों का पचास प्रतिशत 1.5 होता है, अतः पिछड़े वर्ग की महिला के लिए भी एक ही स्थान आरक्षित होगा।

शेष 11 अनारक्षित स्थानों में से 5 स्थान अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए आवंटित होंगे।

नगर पंचायत **X** के कुल 16 पदों में से 2 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा 3 पद पिछड़ा वर्ग के लिए एवं शेष 11 पद अन्य कोटि के लिए अनुमान्य हैं।

प्रपत्र–9 में चक्रानुक्रम आवंटन के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 एवं 16 को अनुसूचित जाति को आवंटन किए गए हैं। शेष 14 वार्ड में कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे उपर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के अवरोही क्रम में आने के कारण वार्ड संख्या 06, 04 एवं वार्ड संख्या 05 को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित एवं आवंटित किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड संख्या 12 एवं 16 में से वार्ड संख्या 12 को अनुसूचित जाति महिला के लिए आवंटित किया जाएगा क्योंकि वार्ड संख्या 12 में अनुसूचित जाति की आवादी सबसे अधिक है। उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित वार्ड संख्या 06, 04 एवं वार्ड संख्या 05 में वार्ड संख्या 06 को पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आवंटित किया जाएगा क्योंकि वार्ड संख्या 06 की कुल जनसंख्या सबसे अधिक है। अनारक्षित बचे शेष 11 स्थानों में से अन्य कोटि की जनसंख्या के अवरोही क्रम यथा वार्ड संख्या 15, 10, 07, 03, 08, 09, 14, 01, 13, 11 एवं 02 में उपर आने वाले पांच वार्ड, यथा वार्ड संख्या 15, 10, 07, 03 एवं 08 को अनारक्षित कोटि की महिला हेतु आरक्षित एवं आवंटित किए जायेंगे।

तद्नुसार प्रपत्र–10 में आरक्षित/अनारक्षित वार्डों की सूची तैयारी की जाएगी।

6. **स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए कुल मिलाकर आरक्षण की सीमा कुल पदों के पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अधीन ही होगी, उससे अधिक नही। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बाद कुल पदों के अधिकतम बीस प्रतिशत तक स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। उदाहरणस्वरूप, अगर किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या ही कुल पदों के चालीस प्रतिशत तक हो जाती है, तब वैसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल स्थानों के 10 प्रतिशत तक ही रखी जा सकेगी, न कि बीस प्रतिशत अथवा अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या ही कुल पदों के 50 प्रतिशत तक हो जाती है, तो वैसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जा सकेगा। उसी प्रकार अगर किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या कुल पदों की संख्या के मात्र दस प्रतिशत तक ही होती है तो पिछड़े वर्गों के लिए आरिक्षत**

किए जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही रखी जाएगी न कि 40 प्रतिशत तक।

7. **आरक्षण प्रस्ताव मैन्यूअली तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षरोपरांत आरक्षण प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु आयोग को भेजा जाएगा। तैयार किये गए आरक्षण प्रस्ताव की जांच के लिए आयोग स्तर पर एक Software तैयार किया गया है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।**

8. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा–निर्देश के आलोक में उर्पयुक्त सभी नगरपालिकाओं के पार्षदों के पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य एवं उन सभी कोटि की महिलाओं के लिए अनुमान्य आरक्षण का प्रस्ताव उदाहरण में दिए गए प्रपत्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन हेतु **दिनांक 17.06.2026** को ऐसे पदाधिकारियों के माध्यम से भेजा जाए, जो आयोग द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण करने में समर्थ हो। अच्छा होगा इस कार्य के लिए उसी पदाधिकारी को प्राधिकृत करते हुए प्रतिनियुक्त किया जाए जिन्होंने आरक्षण प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि वे पदाधिकारी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण प्रस्ताव के अनुमोदन में समुचित सहयोग प्रदान कर सकें। **जिलों से भेजे जाने वाले आरक्षण प्रस्ताव पर जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का हस्ताक्षर अनिवार्य है।**

9. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित आरक्षित/अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची संबंधित नगरपालिका/अनुमंडल एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में आयोग द्वारा दिए गए अनुमोदन के तीन दिनों के अंदर प्रकाशित की जाए एवं आयोग के वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाए ताकि सभी इससे अवगत हो जाएं। साथ ही जिला गजट में भी आरक्षित/अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना प्रकाशित कर दी जाए।

विश्वासभाजन

10/06/26

सचिव

ज्ञापांक –न.नि. 50–20/2026 2425 पटना, दिनांक 10.6.26

प्रतिलिपि –श्री राहुल गुप्ता, एस.ई.आर. एवं श्री नीतीश कुमार, आई.टी.प्रबंधक, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/06/26

सचिव

ज्ञापांक –न.नि. 50–20/2026 2425 पटना, दिनांक 10.6.26

प्रतिलिपि –प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, सारण, मगध एवं तिरहुत को सूचनार्थ प्रेषित।

10/06/26

सचिव

ज्ञापांक –न.नि. 50–20/2026 2425 पटना, दिनांक 10.6.26

प्रतिलिपि –प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/06/26

सचिव

प्रपत्र–7

(नियम 29 देखिए)

कोटिवार जनसंख्या एवं अनुमान्य पद

राज्य–बिहार

जिला–

अनुमंडल–

नगरपालिका का नाम–नगर पंचायत X

नगर पंचायत X की जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	कुल पद	2	0	3	11
26850	3072	10	29932	16				

जांच पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी
(नगरपालिका),.....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी,
.....

(1) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

जनसंख्या का प्रतिशत $\frac{10}{29932}$ X 16 0.00534545 शून्य पद

(1) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

जनसंख्या का प्रतिशत $\frac{3072}{29932}$ X 16 1.642122144 02 पद

(1) पिछड़े वर्ग हेतु हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद–16

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद–8

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद–3.2 = 3 पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या–02

(ड़) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पदों की संख्या–03

(च) अनारक्षित पदों की संख्या–11

प्रपत्र–8

नगर पंचायत X के वार्डों की कोटिवार जनसंख्या					
क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 01	1375	0	0	1375
2	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 02	675	4	0	679
3	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 03	1852	382	0	2234
4	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 04	2337	462	0	2799
5	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 05	2440	29	0	2469
6	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 06	3199	35	4	3238
7	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 07	1979	0	0	1979
8	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 08	1495	6	0	1501
9	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 09	1464	125	0	1589
10	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 10	1980	122	0	2102
11	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 11	1233	113	0	1346
12	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 12	684	638	1	1323
13	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 13	1295	306	0	1601
14	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 14	1455	271	0	1726
15	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 15	2224	49	5	2278
16	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 16	1163	530	0	1693
	कुल	26850	3072	10	29932

जांच पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी...
.....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, ...

प्रपत्र–9

नगर पंचायत X के वार्डों की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में

क्रमांक	अवरोही क्रम में अन्य की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	3199	6	638	12	5	15	3238	6
2	2440	5	530	16	4	6	2799	4
3	2337	4	462	4	1	12	2469	5
4	2224	15	382	3	0	1	2278	15
5	1980	10	306	13	0	2	2234	3
6	1979	7	271	14	0	3	2102	10
7	1852	3	125	9	0	4	1979	7
8	1495	8	122	10	0	5	1726	14
9	1464	9	113	11	0	7	1693	16
10	1455	14	49	15	0	8	1601	13
11	1375	1	35	6	0	9	1589	9
12	1295	13	29	5	0	10	1501	8
13	1233	11	6	8	0	11	1375	1
14	1163	16	4	2	0	13	1346	11
15	684	12	0	1	0	14	1323	12
16	675	2	0	7	0	16	679	2
	26850		3072		10		29932	

जांच पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी
(नगरपालिका),.....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी,....

.....

प्रपत्र–10

नगर पंचायत X के आरक्षित किये गए निर्वाचन क्षेत्रों की सूची।

राज्य–बिहार

जिला–

अनुमंडल–

नगरपालिका का नाम–नगर पंचायत X

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 01	अनारक्षित	अन्य
2	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 02	अनारक्षित	अन्य
3	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 03	अनारक्षित	महिला
4	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 04	पिछड़ा वर्ग	अन्य
5	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 05	पिछड़ा वर्ग	अन्य
6	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 06	पिछड़ा वर्ग	महिला
7	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 07	अनारक्षित	महिला
8	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 08	अनारक्षित	महिला
9	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 09	अनारक्षित	अन्य
10	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 10	अनारक्षित	महिला
11	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 11	अनारक्षित	अन्य
12	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 12	अनुसूचित जाति	महिला
13	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 13	अनारक्षित	अन्य
14	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 14	अनारक्षित	अन्य
15	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 15	अनारक्षित	महिला
16	नगर पंचायत X/वार्ड संख्या 16	अनुसूचित जाति	अन्य

जांच पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी.
.....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी,.....